उ.म.रे. के सा. एवं सहा. नियम की संशोधन पर्ची सं.-78, दिनांक-17.01.2024 का राजभाषा में अनुवाद

(संदर्भ: (i) कार्यपालक निदेशक/संरक्षा(यातायात) रेलवे बोर्ड का पत्र सं.- 2023/सेफ्टी(ए एंड आर)/19/12, दिनांक- 04.12.2023 एवं भारत का राजपत्र सं.- 687, दिनांक- 30.11.2023, मद सं.- 01 एवं 02.

(ii) कार्यपालक निदेशक/संरक्षा-II रेलवे बोर्ड का पत्र सं.- 2020/सेफ्टी(ए एंड आर)/19/07, दिनांक- 23.12.2022, मद सं.- 03.

(iii) सहायक परिचालन प्रबंधक(एम)/प्रयागराज का पत्र सं.- टी/विविध/सेफ्टी/2023, दिनांक- 04.10.2023, मद सं.- 04.

(iv) वरिष्ठ मंडल संरक्षा अधिकारी/झाँसी का पत्र सं.- झाँसी/एस/106/एसए/मिस., दिनांक- 31.08.2023, मद सं.- 05)

01. वर्तमान सा.नि. 1.01(1) को हटाया जाता है और उसके स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाता है- (संशोधन पर्ची सं.- 78)

सा.नि. 1.01(1): इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय रेल (चालित लाइनें) साधारण (तीसरा संशोधन) नियम, 2023 है ।

02. नया सा.नि. 15.02(ग) को निम्नानुसार जोड़ा जाता है - (संशोधन पर्ची सं.-78)

सा.नि. 15.02(ग): योजनाबद्ध रख-रखाव और आस्ति मरम्मत या प्रतिस्थापन या निर्माण कार्य "रोलिंग ब्लॉक कार्यक्रम" के अनुसार निष्पादित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण:- इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "रोलिंग ब्लॉक कार्यक्रम" से रखरखाव और आस्ति मरम्मत या प्रतिस्थापन या निर्माण कार्य के लिए अपेक्षित 52 सप्ताह तक की विनिर्दिष्ट अवधि में यातायात ब्लॉकों या वियोजनों (सिविल या विद्युत या सिगनल और दूरसंचार आदि, जिसके अंतर्गत गैर-अंतर्पाशित कार्य भी हैं) की अग्रिम योजना अभिप्रेत है, जिसे तत्काल पूर्ववर्ती, सप्ताहों के उत्पादन का पुनर्विलोकन करते हुए और आगे आने वाले शेष सप्ताहों के लिए योजना बनाते हुए प्रत्येक सप्ताह एक-एक सप्ताह की योजना को जोड़कर रोलिंग आधार पर तैयार किया जाना है।

03. वर्तमान स.नि. 4.10/2(ii) को हटाया जाता है और उसके स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाता है - (संशोधन पर्ची सं.- 78)

स.नि. 4.10/2(ii): नॉन-इंटरलॉकिंग के दौरान अलग से अस्थायी पैनल की आवश्यकता नहीं है और फ्री होम सिगनल का प्रावधान किया जाना चाहिए। इसके अलावा साइट की व्यावहारिकता और परिचालन आवश्यकता के अनुसार फ्री स्टार्टर सिगनल का प्रावधान किया जा सकता है ।

04. वर्तमान स.नि. 4.35/4 को हटाया जाता है और उसके स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाता है - (संशोधन पर्ची सं.- 78)

स.नि. 4.35/4: जब यात्री गाड़ी रवाना होने वाली हो और इसके प्रस्थान से संबंधित सभी कार्य पूरे कर लिये गये हों तो स्टेशन मास्टर स्टेशन की घंटी बजाने के लिए अधिकृत करेगा । डाउन गाड़ी को रवाना करने के लिए दो घंटी, अप गाड़ी के लिए तीन घंटी और ब्रांच लाइन की गाड़ी के लिए चार घंटी बजायी जायेगी । यदि स्टेशन पर सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली उपलब्ध है तो घंटी बजाये जाने की आवश्यकता नहीं है ।

05. वर्तमान स.नि. 4.42/6 को हटाया जाता है और उसके स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाता है - (संशोधन पर्ची सं.- 78)

स.नि. 4.42/6: दोहरी/तिहरी/मल्टीपल लाइन खण्ड पर चलने वाली गाड़ी का लोको पायलट बगल वाली लाइन पर चलने वाली दूसरी गाड़ी के गार्ड को सतर्क करने के लिए लगातार सीटी बजाएगा, ताकि वह सतर्क रहे और बगल वाली लाइन की गाड़ी को ध्यान से देखे । लोको पायलट/सहायक लोको पायलट और गार्ड दोनों इस पर नजर रखेंगे। यदि कोई असामान्य स्थिति का पता चले, तो लोको पायलट/सहायक लोको पायलट तथा गार्ड दोनों वॉकी-टॉकी के द्वारा एवं खतरा सिगनल दिखा कर प्रभावित गाड़ी के लोको पायलट और गार्ड को अवश्य सूचित करेंगे । यदि सबकुछ ठीक है तो लोको पायलट से लोको पायलट और गार्ड से गार्ड के बीच ऑल राइट सिगनल का आदान-प्रदान किया जाएगा ।

सं.-याता/सामा./संशोधन पर्ची/22/20

दिनांक : 16.04.2024

शरत

(शरत सुधाकर चंद्रायन)

प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक